#### <u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रकरण.क.—104 / 2013</u> संस्थित दिनांक—06.02.2013 फाईलिंग क्रमांक—234503003142013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

# ---- <u>अभियोजन</u>

## // <u>विरूद</u> //

1—बलवंतसिंह पिता किसनसिंह मेरावी, उम्र—26 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम अजगरा, थाना—बिरसा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—चित्रा पारधी पति पुष्पराज पारधी, उम्र—53 वर्ष, जाति पंवार निवासी—ग्राम पौनी, थाना—मलाजखण्ड, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—िकसनसिंह मरावी पिता अमरू मरावी, उम्र—50 वर्ष, जाति गोंड निवासी—ग्राम अजगरा, थाना—िबरसा

जिला–बालाघाट (म.प्र.)

🌥 आरोपीगण

## // <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-08/02/2016 को घोषित)

1— आरोपी बलवंतिसंह के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा—184 व भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304(ए) भा.द.सं. के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—31.12.2012 को सुबह करीब 11:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम गर्राटोला में लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर कमांक—एम.पी—50/एम—0631 को खतरनाक तरीके से चलाया और उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मृतिका इल्लाबाई की मृत्यु ऐसी कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है। आरोपी वाहन मालिक चित्रा पारधी व किसनिसंह मेरावी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की

धारा—50(क) / 177 अथवा 50(ख) / 177 के तहत आरोप है कि उन्होंने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन के अंतरक / अंतरिती होते हुए रिजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विर्निदिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की।

संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी चमरू ग्राम गर्राटोला रहता है तथा खेती किसानी का काम करता है। दिनांक-31.12.2012 को गांव के किसनसिंह मेरावी का ट्रेक्टर कमांक-एम.पी-50 / एम-0631 को पैरा ढ़ोने के लिए लाया था। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी बलवंतसिंह मेरावी लापरवाही पूर्वक चला रहा था और करीब 11:00 बजे खिलिहान से पैरा भरकर गांव के गर्राटोला ला रहे थे कि मोनफोर्ट गर्राटोला स्कूल के सामने ट्रेक्टर चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने से उसकी पत्नी इल्लाबाई ट्रेक्टर से गिर पड़ी, जिसे ईलाज हेतु बिरसा ले गए थे, जहां डाक्टर द्वारा उसे फौत घोषित कर दिया गया। उसकी पत्नी की मृत्यु ट्रेक्टर चालक की गलती से हुई थी। उक्त घटना की सूचना फरियादी चमरूसिंह द्वारा पुलिस थाना बिरसा में की गई, जिस पर वाहन चालक आरोपी बलवंतसिंह के विरूद्ध अपराध कमांक-01/2013, धारा-304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। मृतिका इल्लाबाई की मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेश्न कमांक-01/13 तैयार कर नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतिका के शव का परीक्षण करवाया गया पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी बलवंतसिंह से वाहन जप्त किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी बलवंतिसंह के द्वारा वाहन खतरनाक ढंग से चलाए जाने से मो.व्ही.एक्ट की धारा—184 तथा वाहन मालिक आरोपी चित्रा पारधी के द्वारा उक्त वाहन को विकय करने के पश्चात् कागजात ट्रांसफर न कराने से मो.व्ही.एक्ट की धारा-50(क) / 177 एवं केता किसन मेरावी के द्वारा उक्त वाहन को क्य करने के पश्चात् कागजात ट्रांसफर न कराने से मो.व्ही.एक्ट की धारा-50(ख) / 177 अंतिम प्रतिवेदन में बढ़ाई गई तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी बलवंतसिंह के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा—184 व भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304(ए) भा.द.सं. तथा आरोपी चित्रा पारधी व किसन मेरावी के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा—50(क) / 177 अथवा 50(ख) / 177 के अंतर्गत अपराध विवरण की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होनें जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूटा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

## 4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:--

- 1— क्या आरोपी बलवंतिसंह ने दिनांक—31.12.2012 को सुबह करीब 11:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम गर्राटोला में लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी—50 / एम—0631 को खतरनाक तरीके से चलाया ?
- 2— क्या आरोपी बलवंतिसंह ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मृतिका इल्लाबाई की मृत्यु ऐसी कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?
- 3— क्या आरोपी चित्रा पारधी व पुष्पराज पारधी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन के अंतरक/अंतरिती होते हुए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विर्निदिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की ?

## विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष :-

5— चमरूसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना पिछले साल दिन के 10—11 बजे ग्राम गर्राटोला मोनफोर्ट स्कूल के गेट के सामने रोड की है। घटना के समय आरोपी बलवंत ट्रेक्टर को चला रहा था और वह उस ट्रेक्टर के सामने साईकिल से जा रहा था, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो उसने मुड़कर देखा कि उसकी पत्नी इल्लाबाई ट्रेक्टर से गिर गई थी, जिसे कंधे पर चोट आई थी। घटना के समय आरोपी ट्रेक्टर को धीरे से चला रहा था तथा उक्त दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी, वह नहीं बता सकता। उसने मौके से घायल अवस्था में इल्लाबाई को उटाकर ले गया, जहां चिकित्सकगण ने जांच करने के उपरान्त इल्लाबाई को मृत घोषित कर दिया। उसने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में की जो प्रदर्श पी—1 है। पुलिस ने इल्लाबाई के

शव की जांच कर शव परीक्षण कराया और उसकी रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया। मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी—2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने बाद में मौके पर पूछताछ कर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह कथन किया है कि उसने पुलिस को रिपोर्ट लिखाते समय व बयान देते समय यह नहीं बताया था कि आरोपी द्वारा ट्रेक्टर को लापरवाही पूर्वक चलाने से उसकी पत्नी के गिर जाने के कारण मौत हो गई, यदि उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी—4 में उक्त बात लिखी हो तो वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी के पक्षविरोधी घोषित होने पर भी महत्वपूर्ण साक्षी के रूप में आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध का समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने अपनी पत्नी को बिरसा अस्पताल ईलाज हेतु लेकर गया और उसके बाद वह अपने घर लेकर आ गया था और दूसरे दिन पुनः उसे लेकर बिरसा गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि इल्लाबाई के खत्म होने पर उसे घर लेकर आए थे और उसके बाद रिपोर्ट की थी। इस प्रकार साक्षी ने अपने कथन में विलंब से रिपोर्ट लिखाए जाने के तथ्य को स्वीकार तो किया है, किन्तु उक्त विलंब का कारण अपने कथन में नहीं बताया है।

7— रामिसंह (अ.सा.६) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपी बलवंत को जानता है। मृतिका इल्लाबाई उसकी बुआ थीं। घटना लगभग ढाई वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को मृतिका इल्लाबाई और मृतिका का पित चमरूसिंह साईकिल से पैरा लाने के लिए ग्राम दोषीटोला मृतिका इल्लाबाई के खेत गए थे। फिर उन लोगों ने पैरे को ट्रेक्टर में भरे थे। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी बलवंतिसिंह चला रहा था। उक्त ट्रेक्टर में वह और इल्लाबाई बैठकर गर्राटोला आ रहे थे। मृतिका इल्लाबाई ट्रेक्टर के इंजन में बैठी थी और ट्रेक्टर जैसे ही गर्राटोला के पास पहुंचा तो मृतिका इल्लाबाई ट्रेक्टर के हंजन में बैठी थी और ट्रेक्टर जैसे ही गर्राटोला के पास पहुंचा तो मृतिका इल्लाबाई ट्रेक्टर के के गिर गई थी। इल्लाबाई ट्रेक्टर से कैसे गिरी इस बात की उसे जानकारी नहीं है, क्योंकि वह ट्रेक्टर की ट्रॉली में बैठा था। घटना के समय ट्रेक्टर को आरोपी बलवंत चला रहा था। उक्त दुर्घटना आरोपी बलवंत की गलती से हुई थी, क्योंकि उक्त ट्रेक्टर

आरोपी बलवंत तेजी से चला रहा था।

- 8— उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह स्वीकार किया कि आरोपी की लापरवाही से इल्लाबाई ट्रेक्टर के नीचे गिर गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वह उक्त घटना के समय ट्रॉली में बैठा था, इसलिए उसने घटना होते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि इल्लाबाई की मृत्यु किस कारण से हुई थी, उसकी जानकारी उसे नहीं हैं, इसलिए मृत्यु का कारण जानने के लिए पंचनामा कराए थे। इस प्रकार साक्षी ने अपने कथन में दुर्घटना में कथित रूप से आरोपी की गलती होने के संबंध में परस्पर विरोधाभासी कथन किये हैं। साक्षी ने घटना के समय ट्रॉली में बैठे होने के कारण व घटना होते हुए न देखने से घटना कैसे हुई, इसका कारण न मालूम होने के कथन किये हैं। जबिक मुख्यपरीक्षण में उसने आरोपी के द्वारा वाहन को तेज गित से चलाने के कारण आरोपी की गलती से दुर्घटना होना बताया है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में स्पष्ट रूप से अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।
- 9— धरमसिंह (अ.सा.2), पुसउ (अ.सा.3), अमरसिंह मेरावी (अ.सा.4) एवं तीजाबाई (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में घटना होते हुए नहीं देखे जाने के कथन किये हैं। उक्त साक्षीगण ने आरोपी को घटना के समय वाहन चलाते हुए भी नहीं देखा है। उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने अभियोजन का किसी प्रकार से समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।
- 10— नोहरसिंह (अ.सा.७) ने अपनी साक्ष्य में कथन किये हैं कि वह घटना के समय अपने घर से बिरसा तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे रामसिंह ने बताया कि चमरूसिंह की पत्नी इल्लाबाई का ट्रेक्टर से एक्सीडेन्ट हो गया है और एक्सीडेन्ट आरोपी बलवंत की गलती से हुआ है। उसके द्वारा मृतिका इल्लाबाई की मृत्यु के संबंध में नक्शा पंचायतनामा एवं पंचायतनामा की कार्यवाही में उसने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किया था, जो कमशः प्रदर्श पी—9 एवं प्रदर्श पी—10 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त साक्षी को

पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह स्वीकार किया है कि आरोपी की लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से इल्लाबाई की मृत्यु हो गई थी, किन्तु साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार साक्षी ने मात्र अनुश्रुत साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन किया है, किन्तु उसके कथन से अभियोजन पक्ष को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

डॉ. एम. मेश्राम (अ.सा.८) ने अपनी साक्ष्य में कथन किये हैं कि वह दिनांक—01.01.2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को बिरसा के आरक्षक कुंवर कमांक—1049 द्वारा मृतिका श्रीमती इल्लाबाई पित चमरू, उम्र—38 वर्ष, निवासी गर्राटोला का शव परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाया गया था। साक्षी ने मृतिका के शरीर के आंतरिक एवं बाह्य परीक्षण के पश्चात् मृत्यु के संबंध में यह अभिमत दिया है कि शरीर के अंदरूनी अवयव फटने से अत्यिधक रक्सम्राव होने से मृतिका की मृत्यु हुई थी। साक्षी ने चिकित्सीय अभिमत में घटना के समय मृतिका इल्लाबाई की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की पृष्टि की है।

12— प्रकरण में अभियोजन की ओर से महत्वपूर्ण साक्षी के रूप में मृतिका इल्लाबाई के पित चमरू (अ.सा.1) एवं मृतिका इल्लाबाई के भिताजे रामिसंह को घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पेश किया है, जिसमें से चमरू (अ.सा.1) ने घटना के पश्चात् मौके पर आवाज सुनकर पहुंचने का कथन करते हुए यह बताया है कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी, वह नहीं बता सकता और उसने आरोपी के द्वारा वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाने से मृतिका की मृत्यु होने से भी इंकार किया है। जबिक रामिसंह (अ.सा.6) ने वाहन को आरोपी के द्वारा तेज गित से चलाने के कारण उसकी दुर्घटना में गलती होना बताया है, किन्तु इस साक्षीगण ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने ट्रॉली में बैठे होने के कारण घटना होते हुए नहीं देखी और इस कारण वह नहीं बता सकता कि घटना कैसे हुई। इस प्रकार उक्त दोनों साक्षीगण के कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाया जा रहा था।

13— प्रकरण में महत्वपूर्ण रूप से बचाव पक्ष की ओर से यह भी आधार लिया गया है कि मामलें में दो दिन पश्चात् रिपोर्ट लेख कराई गई है, किन्तु उसका कारण प्रकट नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में सूचनाकर्ता चमरूसिंह (अ.सा.1) ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसने घटना के एक दिन बाद रिपोर्ट की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह मृतिका को बिरसा ईलाज हेतु ले गया था और वापस अपने घर ले आया था तथा दूसरे दिन पुनः बिरसा लेकर गया था। इस प्रकार उक्त सूचनाकर्ता द्वारा घटना की सूचना थाने में न देने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है। चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एम. मेश्राम (अ.सा.8) ने भी मृतिका की मृत्यु एवं शव परीक्षण के बीच 24 घंटे से अधिक समय होना बताया है। उक्त चिकित्सक के द्वारा दिनांक—01.01.2013 को शव परीक्षण किया जाना और दुर्घटना दिनांक—31,12.2012 को होना प्रकट होता है। अतएव मामलें में पुलिस थाना में विलंब से रिपोर्ट लिखाया जाना और उसके संबंध में पर्याप्त कारण अभियोजन की ओर से पेश न करने से उक्त विलंब से संदेहास्पद परिस्थिति प्रकट होती है, जिसे स्वयं अभियोजन ने अपनी साक्ष्य में दूर नहीं किया है।

14— अभियोजन की ओर से अनुसंधानकर्ता अधिकारी के फौत होने से उसे साक्ष्य हेतु न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। उक्त अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने प्राथमिकी एवं संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को निष्पादित किया जाने से अभियोजन की ओर से उसे न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में पेश किये जाने पर बचाव पक्ष को महत्वपूर्ण बचाव के रूप में प्रतिपरीक्षण में चुनौती देने का अवसर प्राप्त होता, किन्तु उक्त साक्षी को पेश न किये जाने से भी अभियोजन के द्वारा मामलें में उत्पन्न संदेहास्पद परिस्थितियों को दूर नहीं किया जा सका है।

15— प्रकरण में आरोपी के द्वारा घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन चलाया जाना प्रमाणित है, किन्तु यह तथ्य प्रमाणित नहीं है कि उसके द्वारा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाया जा रहा था। मात्र तेज गित से वाहन चलाया जाना मान भी लिया जाए तो भी उक्त आधार आरोपी की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार आरोपी बलवंतिसंह के द्वारा वाहन को खतरनाक ढंग से चलाया जाना या उपेक्षा से व उतावलेपन से चलाया जाना भी प्रमाणित नहीं है। शेष आरोपीगण श्रीमती

चित्रा पारधी व किसनसिंह के विरूद्ध इस साक्ष्य का अभाव है कि उन्होंने दुर्घटना कारित वाहन के स्वामी होते हुए या अंतरक / अंतरिती होते हुए रिजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विर्निदिष्ट अविध में रिपोर्ट नहीं की।

16— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी बलवंतिसंह ने दिनांक—31.12.2012 को सुबह करीब 11:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम गर्राटोला में लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर कमांक—एम.पी—50/एम—0631 को खतरनाक तरीके से चलाया और उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मृतिका इल्लाबाई की मृत्यु ऐसी कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है तथा आरोपी वाहन मालिक चित्रा पारधी व किसन मेरावी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन के अंतरक/अंतरिती होते हुए रिजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिदिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की। अतएव आरोपी बलवंतिसंह को मोटरयान अधिनियम की धारा—184 व भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304(ए) भा.द.सं. एवं आरोपी वाहन मालिक चित्रा पारधी व किसनसिंह मेरावी को मोटरयान अधिनियम की धारा—50(क)/177 अथवा 50(ख)/177 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

17— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

18— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी—50/ए—0631 सोनालिका, एक ट्रॉली क्रमांक—एम.पी—50/ए—0632 मय दस्तावेजों के सुपुर्ददार किशनिसंह मेरावी पिता अमरू मेरावी, निवासी ग्राम अजगरा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्ददार के पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट